

HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर अवैध गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त को 06 माह के कारावास व रु5000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान** के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना चिकासी में पंजीकृत मु0अ0सं0-36/2024 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम/गैंगस्टर कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर **अभियुक्त राजाभइया पुत्र रामऔतार नि0 बिलौटा थाना कुरारा** जनपद हमीरपुर को **06 माह के कारावास व ₹5000 के अर्थदंड** से दिण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री प्रवीण भदौरिया



विवेचक-30नि0 श्री सतीश कुमार



पैरोकार- थाना चिकासी का0 अनिल शर्मा